निर्णय बईजलास श्री सिद्धार्थ सिहाग आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 01 /अपील/20

देवीसिंह पुत्र सुखलाल जाति राजपूत निवासी मोगरा तहसील पचपहाड़ (अपीलान्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपहाड़ (रेस्पो0)

अपील बनाराजगी आदेश तहसीलदार तहसील पचपहाड़ दिनांक 05.11.2019 मिसल न0 1564/19

उपस्थितः— तंवरसिंह झाला अभिभाषक अपीलान्ट
पेरोकार सरकार

—: निर्णय :— दिनांकः 12.02.2020

यह अपील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपहाड़ के आदेश दिनांक 05.11.2019 जो मिसल न0 1564/19 पर दिया गया जिसमें अपीलान्ट को ग्राम मोगरा की आराजी ख0न0 224 की 2 बीघा चरागाह भूमि पर अतिकमी मानकर 140/— शास्ती आरोपित करते हुए 30 दिन के सिविल कारावास से दण्डित किया से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील मेंमों में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का फैसला खिलाफ कानून एंव पत्रावली संग्रह सार के विरूद्व होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नही देकर तथा स्वतन्त्र गवाहान के बयान नही लेकर हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानते हुए सजायाब किया है जो गलत है । अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निणय निरस्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मेंमो की पुष्टी करते हुए आगे व्यक्त किया कि अपीलान्ट ने पेनल्टी की राशि जमा करवादी है व आराजी पर से कब्जा भी छोड दिया गया है। अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। इस पर पेरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि अपीलान्ट द्वारा चरागाह की भूमि पर अतिकमण किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जेर अपील पारित किया है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया तथा बहस पेरोकार सरकार पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में स्पष्ट अंकन किया गया है कि अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भी इसी आराजी पर अतिकमण किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मिसल न0 1573 निर्णय दिनांक 14.12.2018 से शास्ती आरोपित की की गई थी इस प्रकार अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिचारी है। अपीलान्ट द्वारा उस पर आरोपित शास्ती जमा नही करवाई गई है और ना ही उसके द्वारा सरकारी चरागाह भूमि पर से अतिक्रमण ही हटाया गया है जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट पटवारी से स्पष्ट है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा चरागाह भूमि पर अतिकमण कर ग्राम के पशुओं को चरागाह भूमि पर चरने से रोकने का प्रयास किया जाना साबित है व अपीलान्ट के इस कृत्य को संरक्षण दिया जाना हमारी राय में उपयुक्त नही है। उपरोक्त विवेचन से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपहाड़ द्वारा मिसल न0 1564/19 में पारित निर्णय दिनांक 05.11.2019 में हम किसी तरह का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं अपीलान्ट को इस अपील के माध्यम से किसी तरह का अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपहाड़ को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2020 को मेरें द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़